

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 634]

भोपाल, मंगलवार दिनांक 14 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 23, शक 1932

गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-35-257-2010-दो-सी-2-डीएम.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिये राज्य आपदा मोचन निधि का गठन करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-35-257-2010-दो-सी-2-डीएम.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के नाम से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 14th December 2010

F. No. 35-257-2010-II-C-2-DM.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 48 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the State Government, hereby, constitutes the State Disaster Response Fund to meet any threatening disaster situation or disaster.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VIJAY KATARIA, Secy.